

20/5/21

पत्रावली में हुई। वकील पञ्चकारण उपस्थित है। बीनान
पौनःपुनः अधिकारी महोदय बीरे/ उपकार/अन्य
रजकार में तारीख रखते है। पत्रावली दि 7/9/21
को पत्र है my

09/21

पत्रावली में हुई। वकील पञ्चकारण उपस्थित है। बीनान
पौनःपुनः अधिकारी महोदय बीरे/ उपकार/अन्य
रजकार में तारीख रखते है। पत्रावली दि 24/11/21
को पत्र है my

पत्रावली में हुई के
दिनांक 2021
को पत्र है
वकील बीरे

11/11/21

पत्रावली प्रशासन जांचों के संगे शामिलान
के तहत केम्प कोर्ट मांगा में आज पेश
हुई। पञ्चकारण के जोरिस बाद तम्मील
सेलेशन ही तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट
आप्त हो चुकी है। तहसीलदार नैनवां की
रिपोर्ट के अनुसार बाद संख्या 19/98 में
आप्त हुई भूमि में सैं प्रतिवादीगण रामलाल,
हरिराम, छोडू ग्रां अंवरलाल, कमला बार्डपत्नी
अंवरलाल, धर्मबाई पुत्री अंवरलाल का नाम
बिलोपित करना चाहते हैं, जिनका नाम
उपखण्ड अधिकारी नैनवां के निर्णय दिनांक
6/2/1999 की पालना करते वक्त पटवारी
दरका द्वारा वादीगण अंधुरा का नाम होने
पड़्यों (वादी व प्रतिवादी) की तरफ रखने से
ज्ञान था। यह कि वर्तमान खाता संख्या
बुडकरवर 14 व अंजकपुरा 10 से रामलाल,
हरिराम, छोडू ग्रां अंवरलाल, कमला पत्नी
अंवरलाल, धर्मबाई पुत्री अंवरलाल का नाम
मीणा निवासी बुडकरवर का नाम बिलोपित
किया जाना अपेक्षित है।

हमने प्राथमिक पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत
रिमाई दस्तावेज तथा रिपोर्ट तहसीलदार
नैनवां का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से यह
स्पष्ट होता है कि बुडकरवर की खाता सं.
14 व अंजकपुरा की खाता सं. 10 से रामलाल



उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूजी)

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हरिम दोड़ आठ अंवरलाल, कमला
पत्नी अंवरलाल, धमबाई पुत्री अंवरलाल
कौम मीणा का नाम हटाया जाना अपेक्षित
है उक्त संशोधन धारा 136 के अन्तर्गत
नहीं किया जा सकता है अतः प्राचीन
पत्र धारा 136 श. सू. श. अधिन. 1956 के
अन्तर्गत मेंटेनेबल नहीं होने से खारिज
किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय
में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील
दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी

नैजवां (बुन्दी)